बस्तर विश्वविद्यालय,
जगदलपुर

कार्यपरिषद

की प्रथम बैठक

दिनांक 29.11.2010 के कार्यवृत्त

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-239037, Fax 07782-239037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक ...../ब.वि.वि./2010 जगदलपुर, दिनांक ...../11/2010

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के कार्य परिषद की बैठक दिनांक 29.11.2010 का कार्यवृत्तः–

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24)

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थेः–

01.	प्रोफे. श्रीमती जयलक्ष्मी ठाकुर	–	अध्यक्ष
02.	श्री संतोष बाफनाजी, विधायक	–	सदस्य
03.	श्रीमती सुमित्रा मारकोलेजी, विधायक	–	सदस्य
04.	श्री भीमा मंडावी जी, विधायक	–	सदस्य
05.	श्री लखमा कवासीजी, विधायक	–	सदस्य
06.	श्री लेखराम साहू जी, विधायक	–	सदस्य
07.	डॉ. श्रीमती व्ही.विजयलक्ष्मी	–	सदस्य
08.	डॉ. एम.आई. मेमन,	–	सदस्य
09.	प्रोफे. एस.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
10.	फादर टी.जे. पॉल,	–	सदस्य
11.	डॉ. धनेन्द्र नाथ मेहर,	–	सदस्य
12.	श्री अब्दुल नसीर खान,	–	सदस्य
13.	श्री टी. कोंडलराव,	–	सदस्य
14.	श्री धर्मपाल सैनी,	–	सदस्य
15.	डॉ. जे.के. जैन,	–	सचिव

चूंकि कार्य परिषद की यह प्रथम बैठक थी, अतः सर्व प्रथम समस्त सदस्यगणों ने अपना–अपना परिचय दिया।

भूमिकाः–

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के परिसर के रूप में बस्तर क्षेत्र के महाविद्यालयों पर नियंत्रण एवं परीक्षा संबंधी कार्य होते रहे। दिनांक 02.09.2008 को छ.ग. राज्य के राजपत्र में बस्तर विश्वविद्यालय को अलग विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया। इसके पश्चात प्रथम कुलपति के रूप में प्रोफे. श्रीमती जयलक्ष्मी ठाकुर, ने दिनांक 01.10.2008 को अपना कार्यभार ग्रहण की। इसके पश्चात दो वर्ष तक दिनांक 30.09.2010 तक प्रथम कुलपति ने धारा 15(क) में उल्लेखित अधिकार एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए स्वयं सभी निर्णय लेती रहीं। दो वर्ष तक कार्य परिषद, विद्या परिषद एवं समस्त समितियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य प्रथम कुलपति के अधिकार में निहित थे।

बस्तर विवविद्यालय जगदलपुर ने सत्र 2009–2010 में प्रथम बार वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षा संपन्न कराया। वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है

तथा पुनर्मूल्यांकन के समस्त कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुये हैं।

बस्तर विवविद्यालय जगदलपुर के अंतर्गत तीन अध्ययनशालाएं क्रमशः– (1) मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन, (2) वानिकी एवं वन्य जीव तथा (3) ग्रामीण प्रौद्योगिकी हैं तथा 25 महाविद्यालय (19 शासकीय महाविद्यालय एवं 06 अशासकीय महाविद्यालय) हैं।

बस्तर विश्वविद्यालय हेतु शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर के पास 15 एकड़ भूमि आबंटित है, तथा घाट लोहंगा में 45.27 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। इसके साथ ही ग्राम करंजी में 200 एकड़ भूमि प्राप्त करने हेतु प्रयास की जा रही है। बस्तर विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने के पूर्व ही इस विश्वविद्यालय हेतु प्रशासनिक भवन का निर्माण किया गया था तथा अध्ययनशाला हेतु भी भवन का निर्माण किया गया था। ठेकेदारों को भुगतान हेतु जो राशि शेष थी उन्हें भी बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया जा चुका है, अब कोई राशि भुगतान करने हेतु शेष नहीं है।

बस्तर विश्वविद्यालय हेतु शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों हेतु कुल 56 पद स्वीकृत हैं। बस्तर विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं हेतु प्रोफेसर के 04 पद, रीडर के 03 पद, व्याख्याता के 10 पद तथा सहायक लाईब्रेरियन के 01 पद शासन से स्वीकृत है। इसी प्रकार से अशैक्षणिक पदों हेतु प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारी के कुल 07 पद, तृतीय श्रेणी के लिये 22 पद एवं चतुर्थ श्रेणी के लिये 09 पद स्वीकृत हैं।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

विषय क्रमांक–01

कुलपति एवं कुलसचिव हेतु वित्तीय अधिकार विनियम 102 में संशोधन बाबत्–

दिनांक 30.09.2008 तक कुलपति को वित्तीय अधिकार एक लाख तथा कुलसचिव को वित्तीय अधिकार दस हजार रू. थे। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में यह अधिकार बढ़ाकर कुलपति हेतु एक लाख पचास हजार रू. एवं कुलसचिव हेतु पचास हजार रू. वित्तीय अधिकार में वृद्वि की गई है। धारा 15(क) के अनुसार प्रथम कुलपति को दिनांक 01.10.2008 से लेकर दिनांक 30.09.2010 तक विश्वविद्यालय के समस्त परिषद एवं समितियों के अधिकार थे। अब दिनांक 01.10.2010 के पश्चात अनेक विषयों पर निर्णय समितियों तथा परिषदों के निर्णय के आधार पर कुलपतिजी को कार्य का निर्वहन करना आवश्यक हो गया है, अतः कार्यपरिषद् के निर्णय हेतु प्रकरण प्रस्तुत है। (प्रारूप 2 संलग्न है)

निर्णयः– इस प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक–02

विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु छठवां वेतनमान प्रदान करने के संबंध में– छत्तीसगढ़ राज्य हेतु वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 लागू किया गया है। यू.जी.सी. वेतनमान प्राप्त शिक्षकों हेतु राज्य शासन ने दिनांक 30.03.2010 को छठवां वेतनमान देने हेतु आदेश प्रसारित किये हैं, जिसके अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों हेतु भी छठवां वेतनमान देने हेतु वेतनमान निर्धारित किये गये हैं।

राज्य शासन द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु

क्रमशः.....03

छठवां वेतनमान का एरियर्स देने हेतु कोई स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं, परन्तु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा दिनांक 01.01.2006 से 31.10.2006 तक का एरियर्स का भुगतान किया जा चुका है। विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– छठवां वेतनमान दिये जाने का निर्णय लिया गया परन्तु एरियर्स का भुगतान, फिलहाल स्थगित किया गया।

विषय क्रमांक–03

असिस्टेंट लाइब्रेरीयन के लिफाफा खोलने के संबंध में– चूंकि इस पद हेतु साक्षात्कार हुए हैं तथा लिफाफे अभी बंद हैं, अतः लिफाफा खोलकर कार्य परिषद द्वारा धारा 49 के अनुसार अनुमोदन करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णयः– सहायक ग्रंथपाल के पद हेतु साक्षात्कार का लिफाफा खोला गया तथा साक्षात्कार में प्रथम स्थान आये डॉ. संजय डोंगरे के नाम का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–04

विश्वविद्यालय हेतु परीक्षा नियंत्रक पद पर नियुक्त करने के संबंध में– भारतवर्ष के समस्त विश्वविद्यालयों में, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली में तथा राज्य लोक सेवा आयोग, रायपुर छ.ग. में परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की गई है तथा परीक्षा नियंत्रणगण अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से कर रहे हैं।

दिनांक 02.01.2004 को समन्वय समिति राजभवन में निर्णय हुए हैं कि छ.ग. के समस्त विश्वविद्यालयों में परीक्षा नियंत्रक की व्यवस्था हो। इस हेतु कुलाधिपति कार्यालय, राजभवन से परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हेतु 08 बार समस्त कुलसचिवों को पत्र जारी किये गये, परन्तु किसी भी कुलसचिव ने इस पद को भरने में कोई रूचि नहीं दिखाई।

विश्वविद्यालयों के सेटअप अनुमोदन कराते वक्त भी इस पद को भरने के लिये सेटअप में अनुमोदन नहीं कराया गया, परन्तु दूसरी ओर आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर में परीक्षा नियंत्रक की व्यवस्था है।

उचित होगा कि अतः इस विश्वविद्यालय के लिये भी परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति हो। विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– माननीया अध्यक्ष महोदया ने अवगत कराया कि छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई, पं. सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, बिलासपुर तथा आयुष विश्वविद्यालय रायपुर में परीक्षा नियंत्रक के पद का अनुमोदन किया गया है। राज्य शासन के पत्र क्र.एफ 3–50/2005/उ.शि./38, रायपुर दिनांक 26.06.2007 के अनुसार विश्वविद्यालय में उपलब्ध प्राध्यापकों में से एक प्राध्यापक को परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति की जा सकती है।

इस आधार पर सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति इस विश्वविद्यालय हेतु की जावे, तथा सेटअप में स्वीकृति हेतु राज्य शासन को पत्र लिखा जावे।

क्रमशः.....04

विषय क्रमांक–05

बस्तर विश्वविद्यालय हेतु अतिथिगृह की व्यवस्था–

(क) सभी विश्वविद्यालयों की भांति बस्तर विश्वविद्यालय में भी मकान नं. 59 अशोका लाईफ स्टाइल धरमपुरा नं. 3 अतितिगृह के रूप में 11 माह हेतु अनुबंध किया है। कार्यपरिषद् कृपया सूचना ग्रहण करना चाहें।

(ख) बस्तर विश्वविद्यालय अतिथि गृह में ठहरने वाले आगंतुकों से लिये जाने वाले शुल्क के संबंध में –

i)	कमरे का किराया	–	100/– प्रतिदिन, प्रति कमरा
ii)	भोजन	–	40/– प्रति प्लेट
iii)	नाश्ता, चाय	–	20/– प्रति प्लेट
iv)	चाय	–	04/– प्रति कप
v)	कॉफी	–	05/– प्रति कप

विचार/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः– बस्तर विश्वविद्यालय हेतु अतिथिगृह की व्यवस्था को सदस्यों ने स्वीकार किया परंतु सिर्फ श्री संतोष बाफनाजी विधायक के द्वारा इस प्रस्ताव पर अपनी असहमति प्रकट की गई।

विषय क्रमांक–06

अनुचित साधन का उपयोग (यू.एफ.एम.) के संबंध में– बस्तर विश्वविद्यालय ने सत्र 2009–2010 में वार्षिक परीक्षा आयोजित किया था जिसमें छात्र– छात्राओं द्वारा अनुचित साधन का प्रयोग किया गया था, जिसे यू.एफ.एम. समिति ने उचित निर्णय लिया है तथा उसके अनुसार परिणाम घोषित किए गए हैं। अधिसूचना की प्रति सूचना ग्रहण हेतु संलग्न है।

निर्णयः– नकल प्रकरण से संबंधित अधिसूचना दिनांक 29.11.2010 को कार्य परिषद सूचना ग्रहण की।

विषय क्रमांक–07

नियुक्तियों के संबंध में जानकारी–विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की नियुक्तियों की गई है जिसकी जानकारी के संबंध में सूचना ग्रहण करने हेतु प्रस्तुत है।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति से संबंधित समस्त नस्तियों को आगामी कार्य परिषद की बैठक में रखी जावे।

विषय क्रमांक–08

भवन निर्माण कार्यों की जानकारी– सर्वप्रथम पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के समय जब बस्तर कैम्पस था, तभी बस्तर विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन का

क्रमशः.....05

निर्माण किया गया तथा बस्तर विश्वविद्यालय के अंतर्गत अध्ययनशाला के भवन का भी निर्माण किया गया। ठेकेदारों को भुगतान के संबंध में जो भी शेष राशी थी उनका भुगतान भी बस्तर विश्वविद्यालय ने भुगतान किया है। अब ठेकेदारों को और कोई राशी भुगतान नहीं किया जाना है। सूचना ग्रहण करना चाहें।

निर्णयः– श्री संतोष बाफना, विधायकजी ने अध्यक्ष महोदया से पूछा कि पूर्व में ठेकेदार कौन–कौन थे। इसका उत्तर अध्यक्ष महोदया ने दिया। इसके पश्चात भवन निर्माण से संबंधित प्रकरण का सूचना ग्रहण किया गया।

विषय क्रमांक 09 –

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, छ.ग. के विद्या परिषद की बैठक दिनांक 24.11.2010 के कार्यवृत्त को अनुमोदन करना–(कार्यवृत्त दिनांक 29.11.2010 को पटल पर रखी जावेगी।)

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि विद्या परिषद की बैठक दिनांक 24.11.2010 के कार्यवृत्त को कार्य परिषद की आगामी बैठक में रखा जावे।

विषय क्रमांक–10

परीक्षा संबंधी जानकारी – सत्र 2009–2010 में बस्तर विश्वविद्यालय ने प्रथम बार वार्षिक एवं पूरक परीक्षा संपन्न कराया है, जिसमें 29,758 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हुई हैं तथा पुनर्मूल्यांकन के परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। अब सत्र 2010–2011 की मुख्य परीक्षाओं हेतु कार्य प्रगति पर है। कृपया सूचना ग्रहण करना चाहें।

निर्णयः– परीक्षा संबंधी कार्य से कार्यपरिषद अवगत हुई तथा सूचना ग्रहण की।

विषय क्रमांक–11

अध्यादेश क्रमांक–5 में संशोधन– इस अध्यादेश के अनुसार प्रश्न पत्र प्रिंटिंग की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव को दी गई है। चूंकि कुलसचिव को अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन कुलपति के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में ही करना होता है, ऐसी स्थिति में कुलसचिव द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रश्न पत्र प्रिंटिंग कराने पर प्रशासनिक रीति से अनेक समस्यायें उत्पन्न होती है, अतः ऐसी स्थिति में प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग कुलपति जी से कराना उचित होगा। इस हेतु अध्यादेश क्रमांक 5 में संशोधन करना प्रस्तावित है, ताकि कार्यपरिषद् के निर्णय के पश्चात् इसे धारा 38(2) के तहत समन्वय समिति के अनुमोदन हेतु भेजा जा सके। (संशोधन का प्रस्ताव प्रारूप दो में संलग्न है)

निर्णयः– अध्यक्ष महोदया, समस्त सदस्यों को अवगत करायी कि छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(1) के अनुसार कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासी तथा विद्या विषयक अधिकारी होता है। इसी प्रकार से छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 16(1) के अनुसार कुलसचिव, अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुलपति के साधारण अधीक्षण तथा नियंत्रण के अधीन रहते हुए करना होता है।

.....6

कुलसचिव, किस व्यक्ति से तथा कहां से प्रश्न पत्र की प्रिंटिंग कराते हैं, इसकी जानकारी कुलपति को नहीं रहती है, दूसरी ओर विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासी तथा विद्या विषयक अधिकारी होने के वजह से समस्त प्रश्नों का उत्तर कुलपति को देना होता है साथ ही जिम्मेवारी कुलपति की होती है।

सदस्यों ने सुझाव दिया कि प्रश्न पत्र टंकण के संबंध में एक व्यक्ति को ही जिम्मेवारी दिया जाना उचित होगा।

विषय क्रमांक–12

विश्वविद्यालय के अधिकारियों हेतु दूरभाष की सुविधा– समस्त विश्वविद्यालयों के अधिकारियों हेतु दूरभाष की सुविधा कार्यालय में एवं निवास में होती है। यदि निवास में लैण्ड लाईन दूरभाष की व्यवस्था नहीं है तो राज्य शासन के नियम के अनुसार मोबाईल फोन सुविधा दी गई है। यह व्यवस्था इस विश्वविद्यालय में भी लागू हो। विचारार्थ प्रस्तुत।

निणर्यः– निर्णय लिया गया कि नियमानुसार एवं पात्रतानुसार दूरभाष की सुविधा हो।

विषय क्रमांक–13

विश्वविद्यालय के अधिकारियों हेतु अर्दली की सुविधा– राज्य शासन में अधिकारियों हेतु निवास स्थान में अर्दली की सुविधा रहती है। मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में अधिकारियों हेतु अर्दली की सुविधा है। इस विश्वविद्यालय में भी यह व्यवस्था हो तो उचित होगा। विचारार्थ प्रस्तुत।

निणर्यः– निर्णय लिया गया कि नियमानुसार कार्यवाही हो।

विषय क्रमांक–14

न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी– अभी तक बस्तर विश्वविद्यालय सिर्फ एक ही न्यायालयीन प्रकरण है। कार्यपरिषद् कृपया सूचना ग्रहण करे।

निणर्यः– न्यायालयीन प्रकरणों से कार्य परिषद अवगत हुई।

विषय क्रमांक–15

वाहन क्रय के संबंध में– बस्तर विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुल 25 शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय हैं जहां पर कि परीक्षा आवेदन फार्म, उत्तरपुस्तिकाएं एवं प्रश्न–पत्र इत्यादि पहुंचाने तथा वापस लाने की कार्यवाही होती है, इस हेतु एक नई वाहन क्रय करने की प्रक्रिया चल रही है, कृपया सूचना ग्रहण करना चाहें।

निणर्यः– वाहन क्रय करने के संबंध में कार्य परिषद सूचना ग्रहण की।

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर छत्तीसगढ़ के कार्य परिषद की बैठक दिनांक 29.11.2010 हेतु पूरक विषय सूची के कार्यवृत्त–

विषय क्रमांक 1–

श्री धर्मपाल सैनी, सदस्य कार्य परिषद, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के पत्र दिनांक 20.11.2010 पर विचार करना। विचार हेतु पत्र की प्रति संलग्न है।

निर्णयः– **श्री धर्मपाल सैनीजी, सदस्य कार्य परिषद, को सुझाव दिया गया कि वे शासन के पास आवेदन करें।**

विषय क्रमांक 2–

गोपनीय विभाग में कार्यरत एवं गोपनीय कार्य से संबंधित कार्य तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को गोपनीय भत्ता देने बावत्:–

विभागीय टीप–

परिनियम 2 के अनुसार - The Kulpati may sanction an allowance to any employee of the University for any special duties assigned to such employee or additional duties performed by him which in the opinion of the Kulpati warrants such payment.

Provided that such allowance shall not exceed twenty percent of the basic salary of such employee.

उक्त प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति जी को अधिकार है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये अधिकतम 20 प्रतिशत गोपनीय भत्ता देने हेतु आदेश दे सकें। इसी तारतम्य में समन्वय समिति की बासठवीं बैठक दिनांक 29.05.2000 को अधिकतम 500/– रूपये प्रतिमाह गोपनीय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को देने हेतु निर्णय लिया गया है। प्रति संलग्न है।

परन्तु उक्त निर्णय 10 वर्ष पुरानी है, अतः बेहतर होता कि गोपनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को तृतीय वर्ग हेतु 100/– प्रति दिवस तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु 50/– प्रतिदिवस निर्धारित किया जावे। प्रकरण विचार हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः– **प्रस्ताव को मान्य किया गया।**

विषय क्रमांक – 03

जोखिम भत्ता (रिस्क एलाउंस) स्वीकृत करने के संबंध में।

विभागीय टीपः–

विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ग कर्मचारियों, वाहन चालकों एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को महाविद्यालयों के लिये परीक्षा आवेदन पत्र, प्रश्न पत्र, पुनर्मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं को पुनर्मूल्यांकन हेतु लाने ले जाने एवं परीक्षा कार्य तथा प्रश्न पत्र छपाई से संबंधित कम्प्यूटर केन्द्रों को गोपनीय दस्तावेज पहुंचाने पड़ते हैं, जिसमें जोखिम भरा कार्य

.....8

रहता है। ऐसे कार्यों के लिये पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के लिये निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:– (प्रति संलग्न है)

(अ) तृतीय वर्ग कर्मचारियों को – 40/– रूपये प्रतिदिन

(ब) वाहन चालकों को – 30/– रूपये प्रतिदिन

(स) चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को – 25/– रूपये प्रतिदिन

परन्तु उक्त व्यवस्था बहुत पुरानी है, जो 02.11.2000 से प्रभावशील है। बेहतर होगा कि उक्त राशि में क्रमशः –

(अ) तृतीय वर्ग कर्मचारियों को – 100/– रूपये प्रतिदिन

(ब) वाहन चालकों को – 80/– रूपये प्रतिदिन

(स) चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को – 60/– रूपये प्रतिदिन

की दर से मान्य की जावे। विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– प्रस्ताव को मान्य किया गया।

विषय क्रमांक 04 –

परीक्षा विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्यालयीन समयावधि के पश्चात कार्य कराने पर पारिश्रमिक देय अनुमोदन के संबंध में–

विभागीय टीप–

पूरे भारत वर्ष में विश्वविद्यालय में शिक्षा सत्र 01 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक रहती है। इसकी वजह से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 12 माह में अपना कार्य पूरा करना ही पड़ता है ताकि परीक्षा परिणाम एवं अंक सूची वितरण करने के पश्चात कक्षा का प्रारंभ सही समय पर हो सके। समय पर कार्य पूरा नहीं होने से पूरा समाज प्रभावित होता है।

इस हेतु कार्यालयीन अवधि के पश्चात कार्य करने वाले तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में अलग से पारिश्रमिक देने की व्यवस्था की गई है। (प्रमाण हेतु दस्तावेज संलग्न है)

	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के दर		बस्तर विश्वविद्यालय हेतु नये दर की मांग
क्र.	देयक विवरण	दर (रू.में.) प्रति छात्र	प्रस्तावित दर (रू.में.) प्रति छात्र
01.	गणक पत्र लेखन	0.50	0.70
02.	गणक पत्र जांच	0.30	0.50

03.	अंकसूची लेखन	0.70	1.00
04.	अंकसूची जांच	0.50	0.70
05.	परीक्षा आवेदन–पत्र जांच	0.70	1.00
06.	कम्प्यूटर रोल लिस्ट जांच	0.70	1.00
07.	उपाधि लेखन (दोनों भाषा में)	3.00	5.00
08.	उपाधि जांच (प्रत्येक जांचकर्ता)	1.00	2.00
09.	नामांकन प्रपत्रों की जांच	0.60	1.00
10.	अंकसूची हस्ताक्षर	0.50	1.00
11.	परीक्षा शुल्क प्रमाणीकरण (लेखन एवं जांच)	1.00	2.00
12.	उपाधि शुल्क प्रमाणीकरण	0.60	1.00
13.	चतुर्थ श्रेणी – प्रति हजार आवेदन पत्र	100.00	200.00

निर्णयः– आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

विषय क्र. 05– परिनियम 01 में संशोधन–

विभागीय टीपः–

छठवां वेतनमान लागू होने के पश्चात परिनियम 01 में संशोधन होना आवश्यक हो गया है। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने परिनियम 01 में संशोधन का प्रस्ताव कार्य परिषद द्वारा पारित किया जा चुका है उसी के अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय भी संशोधन करना चाहता है। संशोधित प्रस्ताव संलग्न है, विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

विषय क्र. 06 – परिनियम क्र. 03(5)(ई) के संबंध में–

विभागीय टीप–

परिनियम क्र.03 में कुलसचिव के अधिकार एवं कर्त्तव्य का उल्लेख किया गया है। विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होने पर परीक्षा से संबंधित समस्त कार्य परीक्षा नियंत्रक द्वारा किया जाना ही उचित होगा। ऐसी स्थिति में कुलसचिव को परीक्षा से संबंधित समस्त कार्य से मुक्त किया जाना उचित होगा। अतः परिनियम क्र. 03(5)(ई) में संशोधन हेतु प्रारूप–02 प्रस्तुत है।

निर्णयः– आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

विषय क्र. 07 –

परिनियम क्र. 20 में परीक्षा नियंत्रक पद को जोड़ना–

विभागीय टीप–

परिनियम क्रमांक 20 में विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के पदों को दर्शाया गया है। परीक्षा नियंत्रक पद पर नियुक्ति की मांग की गई है, तब ऐसी स्थिति में परिनियम क्र.20 में परीक्षा नियंत्रक पद जोड़ना उचित होगा। प्रारूप–02 संलग्न है।

निर्णयः– **आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।**

विषय क्र. 08 –

छ.ग. राज्य विश्वविद्यालय, सेवा के अधिकारों की पदस्थापना, पदोन्नति, स्थानांतरण इत्यादि समस्त कार्य पूर्व की भांति कुलाधिपति कार्यालय, राजभवन से होना–

विभागीय टीप–

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनिमय 1973 की धारा 13 के अनुसार कुलपतियों की नियुक्ति महामहिम कुलाधिपतिजी, राजभवन द्वारा की जाती है। कुलपतिगण महामहिम कुलाधिपतिजी द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य विश्वविद्यालय सेवा के अधिकारीगण की सेवाएं भी कुलाधिपतिजी के अधीन राजभवन से संचालित हो, तो बेहतर होगा, जैसे कि सन् 1999 के पूर्व कुलाधिपति कार्यालय, राजभवन से अधिकारियों की सेवाएं संचालित होती थी। इस हेतु राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 में संशोधन हेतु राज्य शासन को कार्य परिषद की मंशा को सूचित करना उचित होगा। निर्णय हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः– **आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।**

विषय क्र. 09 –

केन्द्रीय क्रय समिति हेतु कार्य परिषद के एक सदस्य के चयन के संबंध में–

विभागीय टीप –

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर हेतु सन् 1997 से ही विनियम 108 लागू है। बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के द्वारा भी विनियम 108 को स्वीकार किया गया है, क्योंकि छ.ग. राज्य शासन के राजपत्र दिनांक 02.09.2008 के अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा वही परिनियम, नियम एवं विनियम को अपनाना है जो पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में प्रचलित है।

छ.ग. राज्य शासन ने सन् 2002 में भण्डार क्रय नियम लागू किया है। इसके अनुसार भी क्रय समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है।

बस्तर विश्वविद्यालय ने केन्द्रीय क्रय समिति का गठन किया है, परन्तु अभी तक कार्य परिषद की ओर से एक सदस्य का मनोनयन/नियुक्ति किया जाना शेष है। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

विषय क्र. 10 –

स्वाध्यायी छात्रों के आवेदन फार्म अपने निवास के निकटतम महाविद्यालय में जमा करने के संबंध में–

विभागीय टीप–

ऐसा देखा गया है कि वर्षों से दूर–दराज से स्वाध्यायी छात्रगण बस्तर क्षेत्र के विशेष महाविद्यालयों यथा–भोपालपटनम आदि में अपना परीक्षा आवेदन पत्र जमा करते हैं, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उचित होगा कि अपने निवास स्थान के निकटतम महाविद्यालयों में स्वाध्यायी छात्रगण परीक्षा फार्म जमा करें। साथ में केन्द्राध्यक्षों को भी निर्देशित किया जाना उचित होगा कि निकटतम क्षेत्र के स्वाध्यायी छात्रों का परीक्षा फार्म ही स्वीकार करें। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि स्वाध्यायी छात्रगण अपना परीक्षा आवेदन फार्म अपने निवास से संबंधित जिले के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय में ही जमा करें।

विषय क्र. 11 –

परीक्षा शुल्क में 250 रूपये की वृद्धि के संबंध में–

विभागीय टीप–

समन्वय समिति में निर्णय हो चुके हैं कि राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में शुल्कों में एकरूपता हो। इस हेतु एक समान शुल्क समस्त विश्वविद्यालयों में प्रचलित है। सन 2011 में आयोजित होने वाले मुख्य परीक्षा हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा परीक्षा शुल्क में 250/– प्रति छात्र वृद्धि की है। उचित होगा कि बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा भी परीक्षा शुल्क में 250/– रूपये प्रति छात्र की वृद्धि की जावे। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– प्रस्ताव को अमान्य किया गया।

विषय क्र. 12 –

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 49 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि साक्षात्कार समिति में होने बावत्–

विभागीय टीप–

आरक्षण अधिनियम 1994 एवं आरक्षण नियम 1998 के अनुसार शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों के साक्षात्कार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से एक प्रतिनिधि होना अनिवार्य होना आवश्यक है। मध्यप्रदेश में अधिनियम की धारा 49 में संशोधन हो चुके हैं कि शैक्षणिक पदों की नियुक्ति के वक्त इस संवर्ग का एक प्रतिनिधि साक्षात्कार समिति में रहे। छ.ग. राज्य में द्वितीय समन्वय समिति में निर्णय

.....12

हुए हैं कि परिनियम 31 में आवश्यक संशोधन कर आरक्षण अधिनियम 1994 एवं आरक्षण नियम 1998 को अंगीकार किया गया है। समस्त विश्वविद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में साक्षात्कार समिति में इन संवर्ग से एक प्रतिनिधि रखा जा रहा है, परन्तु शैक्षणिक पदों की नियुक्ति में साक्षात्कार के वक्त इन संवर्ग से एक भी प्रतिनिधि को नहीं रखा जा रहा है। इसलिये आवश्यक होगा गया है कि धारा 49 में इन संवर्ग से साक्षात्कार में प्रतिनिधि रखने हेतु राज्य शासन को कार्य परिषद की मंशा को सूचित किया जावे। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– **आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।**

विषय क्र. 13 –

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का एक प्रतिनिधि होने के संबंध में–

विभागीय टीप–

छ.ग. राज्य में 32 प्रतिशित अनुसूचित जनजाति, 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 51 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग हैं। कुल 95 प्रतिशत इन संवर्ग से हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 1992 के अनुसार नौकरियों में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से प्रत्येक वर्ष पत्र आते हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में उस अनुपात में प्रवेश दिया जाये, जिस अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग उस राज्य में हैं।

चूंकि इन संवर्ग से 95 प्रतिशत जनता छ.ग. राज्य में है, इसलिये बेहतर होगा कि कार्य परिषद के सदस्य के रूप में इन संवर्ग से कम से कम एक प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व करे। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– **आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।**

विषय क्रमांक 14 –

विनियम क्र. 108 में संशोधन (डॉ. विजय बघेल, कार्यक्रम समन्वयक, रा.से.यो. के पत्र दिनांक 27.11.2010 के संबंध में विचार करना)–

विभागीय टीप–

बस्तर विश्वविद्यालय के केन्द्रीय क्रय समिति का गठन किया जा चुका है। समिति अपना कार्य कर रही है। डॉ. विजय बघेल जी, कार्यक्रम समन्वयक, रा.से.यो. बस्तर विश्वविद्यालय का पत्र दिनांक 27.11.2010 को प्राप्त हुआ है। डॉ. बघेल जी की मांग

है कि रूपये 1.50 लाख तक के सामग्री की क्रय कोटेशन के आधार किया जाना उचित होगा, क्योंकि रा.से.यो. में राशि बहुत कम रहती है यदि निविदा आमंत्रित की जावेगी तो निविदा प्रकाशित करने में ही समाचार पत्रों को काफी राशि व्यय हो जावेगी। इसकी व्यवस्था रा.से.यो. में नहीं है।(पत्र की प्रति विचारार्थ संलग्न है) प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. ...../ब.वि.वि./2010 जगदलपुर दिनांक, ...11.2010

प्रतिलिपिः—

01. सचिव, राजभवन रायपुर, छ.ग. को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ।
02. माननीया कुलपति महोदया, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को सूचनार्थ।
03. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर को सूचनार्थ।
04. कार्य परिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यगणों को सूचनार्थ।
05. बस्तर विश्वविद्यालय के समस्त विभाग प्रमुखों को सूचनार्थ।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-239037, Fax 07782-239037, www.bvvjdp.ac.in

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर छत्तीसगढ़ के कार्य परिषद की बैठक दिनांक 29.11.2010 हेतु पूरक विषय सूची–

विषय क्रमांक 1–

श्री धर्मपाल सैनी, सदस्य कार्य परिषद, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के पत्र दिनांक 20.11.2010 पर विचार करना। विचार हेतु पत्र की प्रति संलग्न है।

विषय क्रमांक 2–

गोपनीय विभाग में कार्यरत एवं गोपनीय कार्य से संबंधित कार्य तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को गोपनीय भत्ता देने बावत्:–

विभागीय टीप–

परिनियम 2 के अनुसार - The Kulpati may sanction an allowance to any employee of the University for any special duties assigned to such employee or additional duties performed by him which in the opinion of the Kulpati warrants such payment.

Provided that such allowance shall not exceed twenty percent of the basic salary of such employee.

उक्त प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति जी को अधिकार है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये अधिकतम 20 प्रतिशत गोपनीय भत्ता देने हेतु आदेश दे सकें। इसी तारतम्य में समन्वय समिति की बासठवीं बैठक दिनांक 29.05.2000 को अधिकतम 500/– रूपये प्रतिमाह गोपनीय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को देने हेतु निर्णय लिया गया है। प्रति संलग्न है।

परन्तु उक्त निर्णय 10 वर्ष पुरानी है, अतः बेहतर होता कि गोपनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को तृतीय वर्ग हेतु 100/– प्रति दिवस तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु 50/– प्रतिदिवस निर्धारित किया जावे। प्रकरण विचार हेतु प्रस्तुत।

विषय क्रमांक – 03

जोखिम भत्ता (रिस्क एलाउंस) स्वीकृत करने के संबंध में।

विभागीय टीपः–

विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ग कर्मचारियों, वाहन चालकों एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को महाविद्यालयों के लिये परीक्षा आवेदन पत्र, प्रश्न पत्र, पुनर्मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं को पुनर्मूल्यांकन हेतु लाने ले जाने एवं परीक्षा कार्य तथा प्रश्न पत्र छपाई से संबंधित कम्प्यूटर केन्द्रों को गोपनीय दस्तावेज पहुंचाने पड़ते हैं, जिसमें जोखिम भरा कार्य रहता है। ऐसे कार्यों के लिये पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के लिये निम्नानुसार व्यवस्था की गई हैः– (प्रति संलग्न है)

(अ)	तृतीय वर्ग कर्मचारियों को	–	40/– रूपये प्रतिदिन
(ब)	वाहन चालकों को	–	30/– रूपये प्रतिदिन
(स)	चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को	–	25/– रूपये प्रतिदिन

परन्तु उक्त व्यवस्था बहुत पुरानी है, जो 02.11.2000 से प्रभावशील है। बेहतर होगा कि उक्त राशि में क्रमशः –

(अ)	तृतीय वर्ग कर्मचारियों को	–	100/– रूपये प्रतिदिन
(ब)	वाहन चालकों को	–	80/– रूपये प्रतिदिन
(स)	चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को	–	60/– रूपये प्रतिदिन

की दर से मान्य की जावे। विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक 04 –

परीक्षा विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्यालयीन समयावधि के पश्चात कार्य कराने पर पारिश्रमिक देय अनुमोदन के संबंध में–

विभागीय टीप–

पूरे भारत वर्ष में विश्वविद्यालय में शिक्षा सत्र 01 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक रहती है। इसकी वजह से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 12 माह में अपना कार्य पूरा करना ही पड़ता है ताकि परीक्षा परिणाम एवं अंक सूची वितरण करने के पश्चात कक्षा का प्रारंभ सही समय पर हो सके। समय पर कार्य पूरा नहीं होने से पूरा समाज प्रभावित होता है।

इस हेतु कार्यालयीन अवधि के पश्चात कार्य करने वाले तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में अलग से पारिश्रमिक देने की व्यवस्था की गई है। (प्रमाण हेतु दस्तावेज संलग्न है)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के दर		बस्तर विश्वविद्यालय हेतु नये दर की मांग	
क्र.	देयक विवरण	दर (रू.में.) प्रति छात्र	प्रस्तावित दर (रू.में.) प्रति छात्र
01.	गणक पत्र लेखन	0.50	0.70
02.	गणक पत्र जांच	0.30	0.50
03.	अंकसूची लेखन	0.70	1.00
04.	अंकसूची जांच	0.50	0.70
05.	परीक्षा आवेदन–पत्र जांच	0.70	1.00
06.	कम्प्यूटर रोल लिस्ट जांच	0.70	1.00
07.	उपाधि लेखन (दोनों भाषा में)	3.00	5.00
08.	उपाधि जांच (प्रत्येक जांचकर्ता)	1.00	2.00
09.	नामांकन प्रपत्रों की जांच	0.60	1.00
10.	अंकसूची हस्ताक्षर	0.50	1.00
11.	परीक्षा शुल्क प्रमाणीकरण (लेखन एवं जांच)	1.00	2.00
12.	उपाधि शुल्क प्रमाणीकरण	0.60	1.00
13.	चतुर्थ श्रेणी – प्रति हजार आवेदन पत्र	100.00	200.00

विषय क्र. 05– परिनियम 01 में संशोधन–

विभागीय टीपः–

छठवां वेतनमान लागू होने के पश्चात परिनियम 01 में संशोधन होना आवश्यक हो गया है। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने परिनियम 01 में संशोधन का प्रस्ताव कार्य परिषद द्वारा पारित किया जा चुका है उसी के अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय भी संशोधन करना चाहता है। संशोधित प्रस्ताव संलग्न है, विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्र. 06 – परिनियम क्र. 03(5)(ई) के संबंध में–

विभागीय टीप–

परिनियम क्र.03 में कुलपति के अधिकार एवं कर्त्तव्य का उल्लेख किया गया है। विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होने पर परीक्षा से संबंधित समस्त कार्य परीक्षा नियंत्रक द्वारा किया जाना ही उचित होगा। ऐसी स्थिति में कुलसचिव को परीक्षा से संबंधित समस्त कार्य से मुक्त किया जाना उचित होगा। अतः परिनियम क्र. 03(5)(ई) में संशोधन हेतु प्रारूप–02 प्रस्तुत है।

4.....

विषय क्र. 07 – परिनियम क्र. 20 में परीक्षा नियंत्रक पद को जोड़ना–

विभागीय टीप–

परिनियम क्रमांक 20 में विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के पदों को दर्शाया गया है। परीक्षा नियंत्रक पद पर नियुक्ति की मांग की गई है, तब ऐसी स्थिति में परिनियम क्र.20 में परीक्षा नियंत्रक पद जोड़ना उचित होगा। प्रारूप–02 संलग्न है।

विषय क्र. 08 – छ.ग. राज्य विश्वविद्यालय, सेवा के अधिकारों की पदस्थापना, पदोन्नति, स्थानांतरण इत्यादि समस्त कार्य पूर्व की भांति कुलाधिपति कार्यालय, राजभवन से होना–

विभागीय टीप–

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनिमय 1973 की धारा 13 के अनुसार कुलपतियों की नियुक्ति महामहिम कुलाधिपतिजी, राजभवन द्वारा की जाती है। कुलपतिगण महामहिम कुलाधिपतिजी द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य विश्वविद्यालय सेवा के अधिकारीगण की सेवाएं भी कुलाधिपतिजी के अधीन राजभवन से संचालित हो, तो बेहतर होगा, जैसे कि सन् 1999 के पूर्व कुलाधिपति कार्यालय, राजभवन से अधिकारियों की सेवाएं संचालित होती थी। इस हेतु राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 में संशोधन हेतु राज्य शासन को कार्य परिषद की मंशा को सूचित करना उचित होगा। निर्णय हेतु प्रस्तुत।

विषय क्र. 09 – केन्द्रीय क्रय समिति हेतु कार्य परिषद के एक सदस्य के चयन के संबंध में–

विभागीय टीप –

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर हेतु सन् 1997 से ही विनियम 108 लागू है। बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के द्वारा भी विनियम 108 को स्वीकार किया गया है, क्योंकि छ.ग. राज्य शासन के राजपत्र दिनांक 02.09.2008 के अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा वही परिनियम, नियम एवं विनियम को अपनाना है जो पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में प्रचलित है।

छ.ग. राज्य शासन ने सन् 2002 में भण्डार क्रय नियम लागू किया है। इसके अनुसार भी क्रय समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है।

बस्तर विश्वविद्यालय ने केन्द्रीय क्रय समिति का गठन किया है, परन्तु अभी तक कार्य परिषद की ओर से एक सदस्य का मनोनयन/नियुक्ति किया जाना शेष है। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्र. 10 – स्वाध्यायी छात्रों के आवेदन फार्म अपने निवास के निकटतम महाविद्यालय में जमा करने के संबंध में–

विभागीय टीप–

ऐसा देखा गया है कि वर्षों से दूर–दराज से स्वाध्यायी छात्रगण बस्तर क्षेत्र के विशेष महाविद्यालयों यथा–भोपालपटनम आदि में अपना परीक्षा आवेदन पत्र जमा करते हैं, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उचित होगा कि अपने निवास स्थान के निकटतम महाविद्यालयों में स्वाध्यायी छात्रगण परीक्षा फार्म जमा करें। साथ में केन्द्राध्यक्षों को भी निर्देशित किया जाना उचित होगा कि निकटतम क्षेत्र के स्वाध्यायी छात्रों का परीक्षा फार्म ही स्वीकार करें। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्र. 11 – परीक्षा शुल्क में 250 रूपये की वृद्धि के संबंध में–

विभागीय टीप–

समन्वय समिति में निर्णय हो चुके हैं कि राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में शुल्कों में एकरूपता हो। इस हेतु एक समान शुल्क समस्त विश्वविद्यालयों में प्रचलित है। सन 2011 में आयोजित होने वाले मुख्य परीक्षा हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा परीक्षा शुल्क में 250/– प्रति छात्र वृद्धि की है। उचित होगा कि बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा भी परीक्षा शुल्क में 250/– रूपये प्रति छात्र की वृद्धि की जावे। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्र. 12 – छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 49 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि साक्षात्कार समिति में होने बावत्–

विभागीय टीप–

आरक्षण अधिनियम 1994 एवं आरक्षण नियम 1998 के अनुसार शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों के साक्षात्कार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से एक प्रतिनिधि होना अनिवार्य होना आवश्यक है। मध्यप्रदेश में अधिनियम की धारा 49 में संशोधन हो चुके हैं कि शैक्षणिक पदों की नियुक्ति के वक्त इस संवर्ग का एक प्रतिनिधि साक्षात्कार समिति में रहे। छ.ग. राज्य में द्वितीय समन्वय समिति में निर्णय हुए हैं कि परिनियम 31 में आवश्यक संशोधन कर आरक्षण अधिनियम 1994 एवं आरक्षण नियम 1998 को अंगीकार किया गया है। समस्त विश्वविद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में साक्षात्कार समिति में इन संवर्ग से एक प्रतिनिधि रखा जा रहा है, परन्तु शैक्षणिक पदों की नियुक्ति में साक्षात्कार के वक्त इन संवर्ग से एक भी प्रतिनिधि को नहीं रखा जा रहा है। इसलिये आवश्यक होगा गया है कि धारा 49 में इन संवर्ग से साक्षात्कार में प्रतिनिधि रखने हेतु राज्य शासन को कार्य परिषद की मंशा को सूचित किया जावे। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

6.....

विषय क्र. 13 – छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का एक प्रतिनिधि होने के संबंध में–

विभागीय टीप–

छ.ग. राज्य में 32 प्रतिशित अनुसूचित जनजाति, 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 51 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग हैं। कुल 95 प्रतिशत इन संवर्ग से हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 1992 के अनुसार नौकरियों में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से प्रत्येक वर्ष पत्र आते हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में उस अनुपात में प्रवेश दिया जाये, जिस अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग उस राज्य में हैं।

चूंकि इन संवर्ग से 95 प्रतिशत जनता छ.ग. राज्य में है, इसलिये बेहतर होगा कि कार्य परिषद के सदस्य के रूप में इन संवर्ग से कम से कम एक प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व करे। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक 14 – विनियम क्र. 108 में संशोधन (डॉ. विजय बघेल, कार्यक्रम समन्वयक, रा. से.यो. के पत्र दिनांक 27.11.2010 के संबंध में विचार करना)–

विभागीय टीप–

बस्तर विश्वविद्यालय के केन्द्रीय क्रय समिति का गठन किया जा चुका है। समिति अपना कार्य कर रही है। डॉ. विजय बघेल जी, कार्यक्रम समन्वयक, रा.से.यो. बस्तर विश्वविद्यालय का पत्र दिनांक 27.11.2010 को प्राप्त हुआ है। डॉ. बघेल जी की मांग है कि रूपये 1.50 लाख तक के सामग्री की क्रय कोटेशन के आधार किया जाना उचित होगा, क्योंकि रा.से.यो. में राशि बहुत कम रहती है यदि निविदा आमंत्रित की जावेगी तो निविदा प्रकाशित करने में ही समाचार पत्रों को काफी राशि व्यय हो जावेगी। इसकी व्यवस्था रा.से.यो. में नहीं है।(पत्र की प्रति विचारार्थ संलग्न है) प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)